उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ—226007 विज्ञा.सं.—⁸⁰⁴⁷ / उ.प्र.रेरा—विधि—परामर्शदाता / 2024—25 दिनांक

दिनांकः ्रे/06 /2024

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में विधि परामर्शदाता की सेवाएं नियत मानदेय पर प्राप्त करने हेत विज्ञापन:-

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यों को भली प्रकार सम्पादित करने और हितधारकों को त्वरित अनुतोष प्रदान करने के कार्य में विधिक सहयोग प्रदान करने हेतु नियत मानदेय के आधार पर 03 वर्ष की अविध के लिए रूपया 50,000/- प्रतिमाह की नियत मानदेय के आधार पर 01 विधि परामर्शदाता की आवश्यकता है। उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अनुभव निम्नवत है:-

- 1. अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्थान से आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक विधि स्नातक की उपाधि धारण किया गया हो।
- 2. विधि परामर्शदाता पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा RERA Act, 2016 के विषय पर रिसर्च किया जा रहा होगा उसको 05 वर्ष की आयु की छूट प्रदान की जायेगी।
- अभ्यर्थी को आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर लॉ डिग्री प्राप्त होने के पश्चात लॉ-फर्म / मा. न्यायालयों / ट्रिब्यूनल्स में कार्य अथवा प्रैक्टिस सहित कम से कम 03 वर्ष का विधिक कार्य करने का अनुभव हो। यदि अभ्यर्थियों द्वारा RERA Act, 2016 के विषय पर रिसर्च किया जा रहा होगा, उसको लॉ-फर्म/मा. न्यायालयों / द्रिब्यूनल्स के कार्य अथवा प्रैक्टिस सहित विधिक कार्य के अनुभव में छूट होगी।

उक्त पद हेतु आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस पद की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स तथा आवेदन का प्रारूप उ.प्र. रेरा की वेबसाइट <u>https://up-rera.in</u> पर दिनांकः 11/06/2024 से उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाइट <u>https://www.up-rera.in</u> के <u>CAREER</u> लिंक पर जाकर दिनांकः 11/06/2024 से दिनांकः 25/06/2024 की सांय 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ—226007

विज्ञा.सं.—8047 / उ.प्र.रेरा—विधि—परामर्शदाता / 2024—25 दिनांकः ०२ /०६ / 2024

उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में 01 विधि परामर्शदाता की सेवाएं नियत मानदेय पर प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत निर्धारित की गई हैं:—

Scope of Work:

- Bring out monthly digest of all cases relating to RERA Act, reported in Manupatra and other similar publications section wise.
- Weekly updation of list of NCLT orders relating to projects registered with UP RERA.
- Weekly tracking of cases pending in Appellate Tribunal, Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court and draft CAs, when required.
- Follow-up with Authority's legal representative in these cases.
- Evaluation of new complaints from legal perspective.
- Evaluation of all complaints relating to unregistered cases and provide recommendation if the project needs to be registered.
- Maintain database of such projects where order for registration of such projects passed from competent level and hearing of complaints whenever required.
- Drafting of notices Sec 7,8 and others as required.
- Assist in preparing notices under Sec- 38/40/63 of the RERA for hearing by the benches of the authority.
- Any other Work as may be assigned by the Secretary or Hon'ble Chairman RERA from time to time.

विधि परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स निम्नवत होंगी:-

- अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्थान से आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक विधि स्नातक की उपाधि धारण किया गया हो।
- 2. विधि परामर्शदाता पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा RERA Act, 2016 के विषय पर रिसर्च किया जा रहा होगा उसको 05 वर्ष की आयु की छूट प्रदान की जायेगी।
- 3. अभ्यर्थी को आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर लॉ डिग्री प्राप्त होने के पश्चात लॉ—फर्म/मा. न्यायलयों/ट्रिब्यूनल्स में कार्य अथवा प्रैक्टिस सहित कम से कम 03 वर्ष का विधिक कार्य करने का अनुभव हो। यदि अभ्यर्थियों द्वारा RERA Act, 2016 के विषय पर रिसर्च किया जा रहा होगा उसको लॉ—फर्म/मा. न्यायालयों/ट्रिब्युनल्स के कार्य अथवा प्रैक्टिस सहित विधिक कार्य के अनुभव में छूट होगी।
- 4. चयनित अभ्यर्थी को रू.50,000/- मात्र मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को देय मानदेय में 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि अनुमन्य होगी।
- 5. चयनित अभ्यर्थी को अपने मुख्यालय से बाहर की यात्रा की स्थिति में राज्य सरकार के समूह—'ख' (ग्रेड—पे—4800 / –) के अधिकारी को देय यात्रा व दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को योगदान से पूर्व राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की नियत मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और कार्य उत्कृष्ठ कोटि को होने पर अनुबन्ध 01–01 वर्ष के 02 विस्तार सहित अधिकतम 02 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को वर्ष में 12 दिन का अवकाश देय होगा।
- चयनित अभ्यर्थी के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।
- 10. चयनित अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक न होने पर 01 माह के मानदेय का भुगतान करके या 01 माह की एडवांस नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह

- की एडवांस नोटिस देकर या एक माह के मानदेय की धनराशि प्राधिकरण में जमा करके अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
- 11. परामर्शदाता का चयन विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करके लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।
- 12. अन्य शर्ते जो प्राधिकरण/मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित की जाएं।
- 13. इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाइट https://www.up-rera.in के CAREER लिंक पर जाकर दिनांकः 11/06/2024 से दिनांकः 25/06/2024 की सांय 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

TE

(प्रमोद कुमार उपाध्याय) सचिव